न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

पीठासीन अधिकारी – अंजना सहरावत आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीक्ष फैसला
01 / 2023	09 / 01 / 2023	10 / 08 / 2023

1. हरीश पुत्र पुत्र शंकरलाल जाति तेली निवासी प्लाट न. 19 सीता नगर 3rd श्रीराम की नागल सांगानेर जयपुर जिला जयपुर (राज0)
2. राजेश पुत्र शंकरलाल जाति तेली निवासी प्लाट न. 19 सीता नगर 3rd श्रीराम की नागल सांगानेर जयपुर जिला जयपुर (राज0)
3. हेमलता पुत्री शंकरलाल पत्नि भवानीशंकर जाति तेली निवासी खडिया बपावर तहसील सागोद जिला कोटा (राज0)
4. रमेश पुत्र शंकरलाल जाति तेली निवासी बागली तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज0)

– प्रार्थीगण

बनाम

1. महेश पुत्र शंकरलाल जाति तेली निवासी नीम की चौकी खण्डार बस स्टैण्ड के पास, खण्डार रोड, सवाई माधोपुर तहसील व जिला सवाई माधोपुर (राज0)
2. केदार देवी पत्नि स्व. श्री शंकरलाल जाति तेली निवासी नीम की चौकी खण्डार बस स्टैण्ड के पास, खण्डार रोड, सवाई माधोपुर तहसील व जिला सवाई माधोपुर (राज0)
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज0)

–अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर. टी. एक्ट</u>
<u>निर्णय</u>

प्रार्थीगण द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थीगण ने उक्त शीर्षक का वाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। जिसमें सफलता की पूर्ण सम्भावना है। ग्राम रामपुरिया पटवार हलका बालूपा तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज0) के माल में खसरा संख्या 523 / 520 रकबा 0.48है. कृषि भूमि स्थित है। ग्राम बागली पटवार हलका बागली तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज0) के माल में खसरा संख्या 364 रकबा 0.24है., खसरा संख्या 432 रकबा 5.04है., खसरा संख्या 460 रकबा 1.37है. कुल किता 3 कुल रकबा 6. 68है. कृषि भूमि स्थित है। ग्राम ठीकरदा पटवार हलका बागली तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज0) के माल में खसरा संख्या 175 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

1.35है. खसरा संख्या 188/2 रकबा 0.60है. कुल किता 2 कुल रकबा 1.95है. व खसरा संख्या 180 रकबा 0.82है. कृषि भूमि स्थित है। उपरोक्तवर्णित सभी कृषि भूमियों को आगे प्रार्थना पत्र में विवादित भूमि कहा गया है। विवादित भूमि पैतृक सहदायिकी सम्पत्ति है जो प्रार्थीगण एवम् अप्रार्थी क्रम 1, 2 को उनके स्व. पिता एवम् पति स्व. शंकरलाल से विरासत में प्राप्त हुई है। प्रार्थीगण एवम् अप्रार्थीक्रम 1 व 2 परस्पर सगे भाई – बहिन एवम् माता – पुत्र है। विवादित भूमि में प्रार्थीगण व अप्रार्थी क्रम 1, 2 का 1/6 – 1/6 हिस्सा निहित होकर दर्ज अभिलेख था। विवादित भूमि प्रार्थीगण एवम् अप्रार्थी क्रम 1 के कब्जे – काश्त एवम् नियन्त्रण में है। अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा अप्रार्थी क्रम 2 से दुरभिःसंधि कारित करते हुये दिनांक 14.10.2022 को स्वयं के पक्ष में अप्रार्थी क्रम 2 से अवैध रूप से 2 पृथक् – पृथक् रिलीज डीड निष्पादित कर स्वयं के पक्ष में पंजीकृत करवा ली गई, जो उप पंजीयक खातौली जिला कोटा (राज0) के समक्ष दिनांक 14.10.2022 को (1) पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 30 पृष्ठ संख्या 110 क्रम संख्या 202203282101141 तथा (2) पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 30 पृष्ठ संख्या 111 क्रम संख्या 202203282101142 पर As [Release Deed - [a] Release Deed in favour of all the co - owners, cosharers and coparceners in ancesatral property] पंजीबद्ध है। उक्त दोनों को आगे प्रार्थना पत्र में आक्षेपित रिलीज डीड संबोधित किया गया है। रिलीज डीड में विवादित भूमि में अप्रार्थी क्रम 2 का 1/6 हिस्सा निहित होना, विवादित भूमि पुश्तैनी संपत्ति होना, विरासत में प्राप्त होना तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थी क्रम 1, 2 सगे भाई–बहिन तथा माता – पुत्र होना स्वीकृत है। उक्त रिलीजडीड के माध्यम से अप्रार्थी क्रम 2 द्वारा उसके हिस्से की भूमि का हक–त्याग किया जा चुका है। यद्यपि तथ्यतः तो उपरवर्णित रिलीजडीड में अप्रार्थी क्रम 2 द्वारा उसके हिस्से की भूमि का परित्याग केवल मात्र अप्रार्थी क्रम 2 के पक्ष में किया गया है किन्तु कानूनन रिलीजडीड [A Relinquishment is not an alienation.] के परिणामस्वरूप अन्य सभी सहस्वामियों के हिस्से में अभिवृद्धि होती है [A Release can only feed title and cannot transfer title.] अतः उक्त रिलीजडीड के वास्तविक कानूनन प्रभाव से अप्रार्थी क्रम 2 का हिस्सा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी क्रम 1 के पक्ष में समभाग से हकत्याग हुआ हैं। किन्तु अप्रार्थी क्रम 3 के अधीनस्थ कार्मिकों द्वारा अवैध तरीके से उक्त रिलीजडीड का अवैध रूप से निर्वचन करते हुये नामान्तरकरण संख्या 578 ग्राम रामपुरिया, नामान्तरकरण संख्या 704 दिनांक 14.11.2022 ग्राम बागली, नामान्तरकरण संख्या 404 दिनांक 14.11.2022 ग्राम ठीकरदा द्वारा अप्रार्थी क्रम 2 के 1/6 हिस्से की भूमि अप्रार्थी क्रम 1 के पक्ष में मर्ज कर दी गई जो कि अवैध, अनुचित एवम् शून्य प्रभावी है। कानूनन अप्रार्थी क्रम 2 द्वारा उसका हिस्सा रिलीज करने की दशा में अप्रार्थी क्रम 2 का नाम, शेष सहखातेदारों (प्रार्थीगण एवम् अप्रार्थी क्रम 1) के हित में खाते से विलोपित होना चाहिए था। (उपरवर्णित नामान्तरकरणों को आगे वाद पत्र में आक्षेपित नामान्तरकरण कहा गया है।) चूंकि विधितः रिलीज किसी सहस्वामी द्वारा शेष सभी सहस्वामियों

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

के पक्ष में निष्पादित किया जाना ही विधितः अनुज्ञेय है। इसलिए विधितः आक्षेपित हकत्याग पत्र के माध्यम से अप्रार्थी क्रम 1 के हित में कोई नवीन अधिकारों का सृजन नहीं हुआ है। अतः प्रार्थीगण इस सक्षम न्यायालय की सहायता से विवादित भूमि में स्वयं के 4/5 हिस्सा भूमि की खातेदारी की घोषणा करवाकर तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अँकन करवाने तथा स्वयं के 4/5 हिस्सा अनुसार भूमि का विभाजन करवाने का अधिकारी है तथा अप्रार्थी क्रम 1 राजस्व अभिलेख के उक्त अवैध एवं त्रुटिपूर्ण अँकन के आधार पर प्रार्थीगण को विवादित भूमि के उपयोग – उपभोग में बाधा उत्पन्न करते हुये विवादित भूमि को अन्यत्र बेचान, रहन आदि प्रकार से खुर्द – बुर्द करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण के उक्त अवैध कृत्यों को रोकने के लिए प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के विरूद्ध मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करना आवश्यक हुआ। तदर्थ प्रार्थना पत्र श्रीमान की सेवा में प्रस्तुत है। प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनता है क्योंकि उपरवर्णनानुसार प्रार्थीगण को उसकी नैसर्गिक विरासत से अवैध रूप से वंचित नहीं किया जा सकता है। अप्रार्थी क्रम 2 द्वारा केवल अप्रार्थी क्रम 1 को ही भूमि रिलीज ही नहीं की गई है इसी प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के ही पक्ष में है क्योंकि प्रार्थना पत्र में वर्णित आक्षेपित रिलीज डीड एवम् उस पर आधारित आक्षेपित नामान्तरकरण प्रार्थीगण के हितों के विरूद्ध शून्य प्रभावी एवम् व्यर्थ है। यदि अप्रार्थी क्रम 1 को मूल वाद के निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा से निषेधित नहीं किया गया तो अप्रार्थी क्रम 1, प्रार्थी को विवादित भूमि के उपयोग – उपभोग में बाधा उत्पन्न करते हुए प्रार्थीगण को विवादित भूमि से वंचित करने में सफल हो जाएगा। जिससे प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति कारित होगी जिसका कि मुद्रा में मूल्याँकन सम्भव नहीं होगा। प्रार्थना पत्र नियत न्याय – शुल्क 1/–रू0 पर, अवधि मध्य प्रस्तुत है। न्यायालय श्रीमान को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार एवम् क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

अन्त में निवेदन किया अप्रार्थी क्रम 2 को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से निषेधित किया जावे कि वह स्वयं अथवा जरिऐ प्रतिनिधि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1.1, 1.2, 1.3 में वर्णित विवादित भूमि में प्रार्थी के शांतिपूर्ण कब्जे – काश्त में किसी प्रकार की बाधा या व्यवधान उत्पन्न नहीं करें तथा यदि दौराने वाद अप्रार्थी क्रम 2 विवादित भूमि को अन्यत्र व्ययनित करने में अथवा भारग्रस्त करने में सफल हो जाए तो उस अन्य संक्रामण को प्रार्थीगण के हितों के विरूद्ध शून्य एवम् बेअसर घोषित किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी जरिये सम्मन की गई । अप्रार्थी कम 1 व 2 की और जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर क्लेम अस्थायी निषेधाज्ञा इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया कि वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत करना स्वीकार है लेकिन कामयाबी हासिल होना स्वीकार नहीं है प्रार्थना पत्र की मद नम्बर जिस प्रकार

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

हासिल नहीं है। विशेष विवरण अवलोकनीय है। प्रार्थना पत्र की मद नम्बर 6 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, अस्वीकार है अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा रिलीज डीड निष्पादित करने के उपरान्त अप्रार्थी संख्या 1 का उक्त आराजीयात का 2/6 एवं प्रार्थीगण का 4/6 हिस्सा बनता है इस मद में प्रार्थीगण में 4/5 हिस्सा क्लेम किया है जो गलत है एवं कानून के विपरीत है अप्रार्थी कम 2 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार अपने हिस्से की आत्यांतिक एब्सोल्यूट स्वामी है। अप्रार्थी कम 2 अपने हिस्से की आराजी को किसी भी दिगर व्यक्ति को रहन बेचान, दान, कर सकती है तथा सहखातेदार के किसी भी व्यक्ति के पक्ष में हक त्याग कर सकती है अप्रार्थीगण को अप्रार्थी कम 1 व 2 को न्यायालय में इस हेतु पाबन्द करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है कि समस्त सहखातेदारों के पक्ष में ही हक त्याग किया जाये। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या सहखातेदार है। प्रार्थीगण किसी भी तरह से अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का बाहमी बंटवारे में प्राप्त आराजी पर कोई अधिकार हासिल नहीं है। अप्रार्थीगण के हिस्से की भूमि पर कोई कब्जा काश्त प्रार्थीगण का नहीं है। अप्रार्थीगण अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त हैं। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य आपसी सहमति से बाहमी बंटवारा हो रहा है, तथा निरंतर अपने हिस्से की आराजी का उपयोग एवं उपभोग कर रहे है विशेष विवरण अवलोकनीय है। प्रार्थना पत्र की मद नम्बर 7 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, अस्वीकार है अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा नियमानुसार अप्रार्थी संख्या 1 के हक में रिलीज डीड का निष्पादन किया है उसके उपरान्त से अप्रार्थी संख्या 2 उक्त भूमि के अपने हिस्से पर काबिज होकर निरन्तर काश्त करता आ रहा है। कोई नैसर्गिक विरासत अप्रार्थी कम 2 के हिस्से की भूमि पर प्रार्थीगण को प्राप्त नहीं होते हैं। अप्रार्थी कम 2 सहहिस्सेदार हैं न कि कॉ–पार्सनर। जब बिना वसीयत के खातेदार मरता है तो उसके वारिसान जिस कानून के अर्न्तगत गर्वन होते है उस हिसाब से यह सम्पति उसके उत्तराधिकारी प्राप्त करते हैं। प्रार्थीगण ने येन–केन प्रकार से अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि छीनने की गरज से ये प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य आपसी समझाईश से बहामी बंटवारा हो रहा है जिसके अनुसार अप्रार्थी कम 1 के हिस्से में विवादग्रस्त भूमि में से ग्राम बागली की खसरा नम्बर 364 की 0.24 हैक्टर, ख.न. 460 की 1.36 हैक्टर तथा ग्राम ठीकरदा की ख.न. 175 की 1.35 है. खान, 188/2 की 0.60 हैक्टर ख.न. 180 की 0.82 हैक्टर बंटवारे में आयी थी, और शेष भूमि प्रार्थीगण के हिस्से में आयी थी, उक्त बंटवारे की पालना राजस्व रिकोर्ड में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को करवानी थी, लेकिन प्रार्थीगण की नीयत में बध्यान्ति

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

आ गई और मनगढन्त आधारों पर वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया अप्रार्थी कम 1 बहामी बंटवारे में प्राप्त उपरोक्त आराजी को निरंतर एवं बिना किसी बाधा के उपयोग एवं उपभोग करता आ रहा है जिस पर प्रार्थीगण को मदाखलत व मजहामत करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। दिनांक 27.6.2023 को प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के उपरोक्त हिस्से आराजी पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया। अप्रार्थी 1 व उसकी पत्नी के साथ मारपीट की जिसकी रिपोर्ट थाना खातौली में दर्ज करवाई गई जिसकी एफ.आई.आर नम्बर 192/2023 है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के उपरोक्त हिस्से की आराजी पर मदाखलत व मजहामत कर रहे हैं इसलिये अप्रार्थीगण के लिये यह आवश्यक हो गया है वह प्रार्थीगण को न्यायालय श्रीमान की सहायता से अस्थायी निषेधाज्ञा से निषेधित करावें कि प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के खाते एवं हिस्से की बहामी बंटवारे में प्राप्त उपरोक्त आराजी पर अप्रार्थीगण के उपयोग एवं उपभोग में फसल काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे। इसलिये यह काउण्टर क्लेम अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थीगण के विरुद्ध न्यायालय हाजा में प्रस्तुत है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित है। यदि प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को उसके कब्जे काश्त की आराजी जो अप्रार्थीगण को बहामी बंटवारे में प्राप्त हुई है पर से बेदखल कर देगे तो अप्रार्थीगण को अपार क्षति होगी जिसका मुद्रा में मूल्यांकन किया जाना सम्भव नहीं होगा और अप्रार्थीगण को कई अन्य वाद विवादो में उलझना पड़ेगा जिससे अप्रार्थीगण बर्बाद हो जायेंगे। इस कारण अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को ही होनी है। प्रार्थीगण का कोई प्रथम दृष्टया केस नहीं है न ही प्रार्थीगण के पक्ष में सुविधा का सन्तुलन है और न ही उन्हें कोई अपूर्णीय क्षति हो रही है क्योंकि उनके पास विवादग्रस्त आराजी में अपने हिस्से के मुताबिक भूमि प्राप्त हो चुकी है। जिस पर वह काबिज है। प्रार्थना पत्र की मद नम्बर 8 कानूनी होने से जवाब की मोहजात नहीं है । प्रार्थना पत्र की मद नम्बर 9 कानूनी होने से जवाब की मोहताज नहीं है। अप्रार्थीगण का काउण्टर क्लेम का वाद कारण दिनांक 27.6.2023 को अप्रार्थीगण की हिस्से आराजी पर फसल काश्त करने से रोकने खेत पर हंकाई जुताई करने से रोकने व प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के साथ मारपीट करने के कारण उक्त दिनांक को उत्पन्न हुआ है । काउण्टर क्लेम का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त है। काउण्टर क्लेम अवधि मध्य व उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है। प्रार्थना प्रार्थीगण स्वीकार नहीं है। विशेष विवरण के कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा तथ्य छुपाकर माननीय न्यायालय में ये प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज होने योग्य है। प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

ने एक दावा न्यायालय जिला न्यायाधीश महोदय सवाई माधोपुर के यहाँ दो सम्पति एक मकान पुराना खण्डार बस स्टैण्ड एवं दूसरा मकान पुराना खण्डार बस स्टैण्ड एवं एक मैसी टैक्टर एक डस्टनगो फोर व्हीलर व एक मोटर साईकिल प्लेटिना के विभाजन हेतु दावा पेश किया है। जिसमें पेशी 14.9.2023 नियत है। सम्बन्धित दावा प्रार्थीगण ने दिनांक 4.5.2022 को पेश किया है जबकि इस न्यायालय में दावा व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा 19.12.2022 को पेश किया गया जो पश्चातवर्ती है क्योंकि कानून में है कि पक्षकारों के मध्य विवादित सम्पति चाहे वह कृषि भूमि हो या नहीं हो किसी एक न्यायालय द्वारा ही विभाजित की जाकर विनिश्चित की जायेगी । प्रार्थीगण ने जानबूझकर कृषि भूमि को न्यायालय जिला न्यायाधीश महोदय, सवाईमाधोपुर के यहाँ पेश दावे में वर्णित नहीं किया लिहाजा अप्रार्थीगण को उक्त न्यायालय में जरिये काण्टर क्लेम इस दावे व दरख्वास्त में वर्णित विवादित आराजीयात को विभाजन करने का काउण्टर क्लेम पेश किया है। इस प्रकार जब सक्षम सिविल न्यायालय में विवाद पेन्डिंग है, तो इस न्यायालय को ये दावा व दरख्वास्त सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। एक ही सम्पति बाबत दो विभिन्न न्यायालयों से रिलीफ प्राप्त नहीं की जा सकती है। अलग–अलग सक्षम न्यायालयों में वादों के जरिये निर्णय किया जाता है तो भिन्न–भिन्न निर्णय आने की सम्भावना होती है जिससे एण्ड ऑजस्टिस डिफिट होता है। बंटवारा शंकरलाल जी की सम्पति का है जो प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पिता व पति थे, जिनकी स्वअर्जित सम्पति थी, जो भिन्न–भिन्न व्यक्तियों से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के शंकरलाल जी द्वारा खरीद की गई थी, कोई पुश्तैनी सम्पति नहीं है। जिला न्यायाधीश महोदय, सवाईमाधोपुर इस वाद में विवादित भूमि का अनुतोष प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य देने की अधिकारिता रखते है। इसलिये पश्चातवर्ती वाद चलने योग्य नहीं है । प्रार्थीगण ने तथ्य छिपाकर इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया है जिन खसरा नम्बरान का प्रार्थीगण ने हवाला दिया है उसके अलावा ग्राम रामपुरिया तहसील पीपल्दा जिला कोटा के खाता संख्या नये 115 में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 342 रकबा 3.11 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 343 रकबा 0.28 है. जिस बाबत प्रार्थीगण ने जानबूझकर उल्लेख नहीं किया है प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य आपसी समझाईश से बहामी बंटवारा हो रहा है जिसके अनुसार अप्रार्थी कम 1 के हिस्से में विवादग्रस्त भूमि में से ग्राम बागली की खसरा नम्बर 364 की 0.24 हेक्टर ख.न. 400 की 1.36 हैक्टर तथा ग्राम ठीकरदा की ख.न. 175 की 1.35 है. खसरा न0 188/2 की 0. 60 हैक्टर ख.न. 180 की 0.82 हैक्टर बंटवारे में आयी थी और शेष भूमि प्रार्थीगण के हिस्से में आयी

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

थी, उक्त बंटवारे की पालना राजस्व रिकोर्ड में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को करवानी थी, लेकिन प्रार्थीगण की नीयत में बध्यान्ति आ गई और मनगढन्त आधारों पर वाद पत्र व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया अप्रार्थी कम बहामी बंटवारे में प्राप्त उपरोक्त आराजी को निरंतर एवं बिना किसी बाधा के उपयोग एवं उपभोग करता आ रहा है जिस पर प्रार्थीगण को मदाखलत व मजहामत करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है दिनांक 27.6.2023 को प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के उपरोक्त हिस्से आराजी पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया अप्रार्थी व उसकी पत्नी के साथ मारपीट की जिसकी रिपोर्ट थाना खातौली दर्ज करवाई जिसकी एफ. आई. आर नम्बर 192 / 2023 है प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के हिस्से आराजी पर मदाखलत व मजहामत कर रहे हैं इसलिये अप्रार्थीगण के लिये यह आवश्यक हो गया है कि अस्थायी निषेधाज्ञा से निषेधित करावे कि प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के खाते एवं हिस्से की बहामी बंटवारे में प्राप्त उपरोक्त आराजी पर अप्रार्थीगण के उपयोग एवं उपभोग में फसल काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे इसलिये यह काउण्टर क्लेम अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थीगण के विरुद्ध न्यायालय हाजा में प्रस्तुत है। अप्रार्थीगण में विवादग्रस्त आराजी का तथा शंकरलाल जी से प्राप्त सम्पति का विभाजन का काउण्टर क्लेम अप्रार्थीगण में न्यायालय जिला न्यायाधीश महोदय, सवाईमाधोपुर के यहाँ पेश कर रखा है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खिलाफ कानून है क्योंकि जो प्रार्थना प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में मांगी है उसमें वर्णित प्रार्थना संख्या 3 प्रार्थीगण इस न्यायालय से प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र की रिलीफ संख्या 1 व 2 प्रार्थीगण इस न्यायालय से प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है क्योंकि कानूनन अप्रार्थी संख्या 1 अपने हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि को रहन, विकय या अन्य किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित कर सकती है अप्रार्थी कम 1 अपने हिस्से आराजी की आत्यंतिक एब्सोल्यूट स्वामी है। किसी भी पक्षकार या किसी भी न्यायालय को इस हेतु पाबन्द कराने का विधिक अधिकार नहीं है ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र की रिलीफ संख्या व भी प्रार्थीगण इस न्यायालय से प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है । अन्त में जवाब प्रार्थना पत्र मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे और अप्रार्थीगण का काउण्टर क्लेम स्वीकार फरमाया जाकर इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला वाद अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रार्थीगण के विरूद्ध फरमाई जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादग्रस्त आराजी ग्राम बागली की खसरा नम्बर 364 की 0.24 हैक्टर, ख.न. 460 की 1.36 हैक्टर तथा ग्राम ठीकरदा की ख.न. 175 की 1.35 है. ख.न. 188/2 की 0.60 हैक्टर ख.न. 180 की

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

0.82 हैक्टर पर अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त में तथा उनके उपयोग एवं उपभोग में प्रार्थीगण किसी भी प्रकार की मदाखलत व मजहामत नहीं करे ऐसा कृत्य न तो स्वयं करे और न ही ऐसा कृत्य अपने किसी अन्य प्रतिनिधियों से करावे । उपरोक्त आराजी को किसी भी दिगर व्यक्ति को प्रार्थीगण विकय मुनाफा काश्त, पांती काश्त नहीं करे।

वकील प्रार्थीगण द्वारा दावे में काउन्टर क्लेम नहीं होने के कारण अप्रार्थीगण के काउण्टर क्लेम प्रार्थना पत्र का जवाब नहीं देना जाहिर किया।

बकुलाय फरीकेन की बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। वकील प्रार्थीगण द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया गया। वकील प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेंर द्वारा अपील डिक्री/टीए/8540/2018/कोटा बउनवान संजय कुमार बनाम सुनील कुमार वगैराह में पारित निर्णय दिनांक 09/11/2021 प्रस्तुत किया गया। इसके विरोध में वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करते हुये काउण्टर प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया गया। वकील अप्रार्थीगण द्वारा अपने कथनों के समर्थन में 2009(1) आर.आर.टी. पृष्ठ संख्या 25, 2022(2) आर.आर.टी. पृष्ठ संख्या 807 ,माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील (सिविल) 2412/2006 बउनवान प्रेमसिंह व अन्य बनाम बीरबल में पारित निर्णय दिनांक 02/05/2006, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील (सिविल) 2412/2006 बउनवान कुप्पूस्वामी चेट्टियार बनाम ए.एस.पी. ए. अरूमुगन चेट्टियार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 16/09/1966 प्रस्तुत किये गये।

बकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों की रोशनी में पत्रावली का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया गया।

अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का निर्णय करने हेतु न्यायालय को निम्न 3 बिन्दुओ को निस्तारित करना होता है।–

1. प्रथम दृष्टया मामला
2. सुविधा का संतुलन
3. अपूरणीय क्षति

उपखण्ड अधिकारी
इटावा